दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड

(रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजी. कार्यालयः शक्ति सदन, कोटला रोड़,
नई दिल्ली – 110002
www.dtl.gov.in

वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लिए एआरआर का वास्तविकीकरण एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर हतु याचिका

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

को प्रस्तुत

माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

फाइल सं.________

मामला सं. _______

निम्नांकित के मामले में:

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2007 (यहां से आगे एमवाईटी विविनियम, 2007 के रूप में उल्लेखित) और विद्युत अधिनियम 2003 (यहां से आगे केवल अधिनियम के रूप में उल्लेखित) के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत अवधि अर्थात वित्तीय व"kZ 2013–14 के लिए संशोधित कुल राजस्व आवश्यकता के अनुसार वित्तीय व"kZ 2007–08 से वित्तीय व"kZ 2011–12 के लिए व्यय के वास्तविकरण के लिए याचिका /आवेदन दायर करना, माननीय आयोग के दिनांक 26.11.2012 के पत्र सं एफ.3/ टैरिफ / डीईआरसी /2012-13/4/3700/4617-4619 के साथ पढ़ें, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के विविनियम 7.4 से 7.9, विविनियम 9.1 से 9.4 एवं विविनियम 10.10 (ट्रांसमिसन टैरिफ विविनियम, 2011 के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) (यहां से आगे एमवाईटी विविनियम, 2011 के रूप में उल्लेखित), जहां तक लागू हो दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 28, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियामक 2011 और माननीय आयोग द्वारा जारी विद्युत ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस की शर्त 22 के संदर्भ में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड ट्रांसमिशन लाइसेंस के रूप में निम्नांकित वितरण लाइसेंसधारियों को विद्युत की व्हीलिंग:–

1. **बीएसईएस–यमुना पावर लिमिटेड**
2. **बीएसईएस–राजधानी पावर लिमिटेड**
3. **टाटा पावर–दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (पूर्व में एनडीपीएल)**
4. **एनडीएमसी**
5. **एमईएस**

<u>निम्नलिखित मामले में:</u>

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (यहां इसे इसके बाद ट्रांसको कहा गया है) जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली—110002 है ......याचिकाकर्ता

उपर्युक्त याचिकाकर्ता सादर दर्शाता है:

1. दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के लागू उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली सरकार ने भूतपूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के सुधार और पुनर्संरचना का कार्य प्रारंभ किया। डीटीएल भूतपूर्व डीवीबी के पारेषण और थोक आपूर्ति कारोबार के प्रबंधन के लिए दिनांक 20.11.2001 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित स्थानांतरण योजना के माध्यम से भूतपूर्व दिल्ली विद्युत बोर्ड के एक उत्तरवर्ती निकाय के रूप में बनाया गया।

   बाद में दिनांक 28.06.2006 को, जीएनसीटीडी ने डीईआरसी को नीतिगत निर्देश जारी किए जिनमें निर्देश दिया गया कि ट्रांसको का थोक आपूर्ति कारोबार दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से डिस्कॉम को सौंप दिया गया है। आयोग के आदेश दिनांक 31.03.2007 के तहत विद्यमान और आगामी परियोजनाओं के पीपीए/बीपीटीए को डिस्कॉम को सौंप दिया गया। परिणामस्वरूप, वर्तमान में ट्रांसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में राज्य पारेषण सुविधा (एसटीयू) के रूप में पारेषण कारोबार कर रहा है।

2. डीटीएल ने दिनांक 20 अगस्त, 2007 को प्रथम नियंत्रण अवधि वि.वर्ष. 2007—08 से वि.वर्ष. 2010—11 के लिए कारोबार योजना के साथ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हेतु व्हीलिंग प्रभारों के निर्धारण के लिए अपनी ब.व.टै. याचिका दायर की थी जिसपर माननीय आयोग द्वारा उनके आदेश दिनांक 20 दिसंबर, 2007 के तहत निर्णय दिया गया था (इसे यहां इसके बाद "ब.व. टै. टैरिफ आदेश" कहा गया है)।

3. माननीय आयोग द्वारा दिए गए ब.व.टै. आदेश से व्यथित होकर डीटीएल ने अपील सं. 28/2008, आई.ए. 61/2008 और 12/2010 में माननीय एटीई के समक्ष एक अपील दायर की। माननीय एटीई ने दिनांक 29 सितंबर, 2010 को एक निर्णय दिया जिसमें माननीय विनियामक आयोग को निर्देश दिया गया कि वर्तमान नियंत्रण अवधि के समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना यथाशीघ्र अपीलार्थी के यथार्थीकरण (ट्रू—अप) कार्य को पूरा

करें। एटीई के निर्णय के अनुसरण में डीटीएल ने पत्र सं. एफ. डीटीएल/203/एफ–1/10–11/ओपीआर. जीएम (कॉम.)/275 दिनांक 31 मार्च, 2011 के द्वारा आयोग के समक्ष वि.वर्ष. 2007–08 से वि.वर्ष. 2010–11 के लिए एक यथार्थीकरण याचिका दायर की। माननीय आयोग ने वि.वर्ष. 2011–12 के लिए एक सं.रा.अ. आदेश पारित करते हुए एटीई निर्णय के प्रभाव पर आंशिक रूप से विचार किया अर्थात् इस दलील पर कि डीवीबी बकाया मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, डीवीबी बकायों को विचार में लिए बिना आदेश पारित किया। तथापि, इस अपील को अभी तक उच्चतम न्यायालय द्वारा गृहित नहीं किया गया है।

4. डीटीएल ने ब.व.टै. विनियम, 2007 के साथ पठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 64 और 86 के अधीन वि.वर्ष. 2011–12 के लिए सकल राजस्व अपेक्षा ("स.रा.अ.") के अनुमोदन और पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को आयोग के समक्ष अपनी याचिका दायर की थी। माननीय आयोग ने वि.वर्ष. 2011–12 के लिए दिनांक 26.08.2011 को एक आदेश पारित किया। डीटीएल ने विशेषकर डीवीबी बकायों तथा ढुलाई लागत सहित 196.17 करोड़ रूपये की अधिशेष धनराशि की वसूली के संबंध में माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपील सं. 184/2011 में माननीय एटीई के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 111 (1) के अधीन एक अपील दायर की।

5. माननीय आयोग ने पणधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए वि.वर्ष. 2012–13 से 2014–15 के लिए प्रारूप ब.व.टै. विनियम के संबंध में दिनांक 02.10.2011 को एक जन सूचना जारी की। बाद में, डीटीएल ने दिनांक 08.10.2011 को टिप्पणियां प्रस्तुत की है। माननीय आयोग ने सुनवाई करने के बाद, डीटीएल द्वारा विशेषकर इक्विटी पर आय (रिटर्न ऑन इक्विटी) के संबंध में उठाए गए मामलों पर कारणों का कथन दिए बिना दिनांक 2.12.2011 को ब.व.टै. विनियम जारी किया था जिसमें माननीय आयोग अपने प्रारूप विनियम से और वृद्धि कारक की संगणना के लिए सीपीआई और डब्लयूपीआई के वास्तविक मान पर विचार किए जाने से भी विचलित हो गया। व्यथित होकर डीटीएल माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर कर रहा है।

6. डीटीएल ने एआरआर की स्वीकृति के लिए और संचारण व्यापार के एफवाई 2012–13 से एफवाई 2014–15 पर लागू टैरिफ के लिए आयोग के निदेशानुसार 2 फरवरी 2012 को

याचिका दायर की। माननीय आयोग ने याचिका को स्वीकार करते हुए एफवाई 2012–13 से एफवाई 2014–15 के लिए 13–07–2012 को एमवाईटी टैरिफ आदेश जारी किया।

7. द्वितीय नियंत्रण अवधि दिनांकित 13–07–2012 के लिए माननीय आयोग द्वारा पारित आदेश से पीड़ित डीटीएल ने विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा 111(1) अनुसार 2012 की अपील संख्या माननीय एटीई के समक्ष दायर की है। (अपील की प्रतिलिपि **सलंग्न–I** में हैं)।

8. यह कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान स.रा.अ. याचिका में संबंधित स्थानों पर पूर्वानुमानों का उल्लेख किया है, और विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग की व्यापार आचार नियमावली में माननीय आयोग के निर्देशों सहित विभिन्न लागू विधिक, विनियामक निर्देशों और शर्तों, दिशानिर्देशों, पूर्व स.रा.अ., टैरिफ आदेशों और निबंधन और शर्तों के संबंध में हाल के विनियमों का अनुसरण करने का प्रयास किया है।

9. यह कि उपलब्ध सूचना के आधार पर, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने और अपनी सर्वोत्तम योग्यताओं से अपने दायित्वों का श्रमपूर्वक निर्वहन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है। तथापि, याचिकाकर्ता ऐसी अतिरिक्त सूचना दायर करने और परिणामस्वरूप, यदि इस माननीय आयोग द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है अथवा निर्देश दिया जाता है, आवेदन/याचिका में संशोधन/परिवर्तन करने की अनुमति चाहता है। याचिकाकर्ता इस याचिका को दायर करने के संबंध में ऐसी कोई भी अन्य तथा आगे और सूचनाएं प्रदान करने के लिए तैयार और इच्छुक है जिनकी माननीय आयोग को आवश्यकता हो अथवा जिनकी टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में इसकी हकदारी निर्धारित करने के लिए आवश्यकता उत्पन्न हो।

प्रार्थना

याचिका कर्ता बड़े सम्मान के साथ निम्न को प्रस्तुत करता है:

i) वर्तमान याचिका के लिए दायर की गई:

(क) वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 के व्ययों को एमवाईटी विनियमावली 2007 के अनुसार सत्य ठहराने के लिए

(ख) संशोधित कुल राजस्व आवश्यकता वित्तीय वर्ष 2013–14

ii) टैरिफ आदेश वि.वर्ष. 2013–14 को जारी किए जाने से पहले अधिनिर्णित की जा रही समीक्षा/अपील/एसएलपी में डीटीएल द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दें के होने पर उस पर विचार करें और वि.वर्ष. 2013–14 के लिए स.रा.अ. का अनुमोदन करते समय इसके प्रभाव को विचारधीन रखें। यदि, टैरिफ आदेश को जारी किए जाने के बाद, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/एटीई/समीक्षा आदेश जारी किए जाते हैं, तो इनका तत्काल प्रभाव लागू होने की अनुमति प्रदान करें।

iii) न्याय के हित में, यदि आवश्यकता हो, भविष्य में किसी तिथि को आवेदन में कुछ जोड़ने/फेर–बदल करने/परिवर्तन करने/संशोधन करने की अनुमति प्रदान करें।

iv) ऐसा और कोई अन्य आदेश जारी करें जो माननीय आयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र उपयुक्त और सही समझें।

महाप्रबंधक (सी एवं आरए)

सूचकांक

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
भाग – I	वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर का सत्यापन	9
1)	**ओएवंएम व्यय**	9
क)	मुद्रास्फीति की दर कारक का निर्धारण	9
ख)	कर्मचारी व्यय	10
ग)	एएवंजी व्यय	12
घ)	मरम्मत और रखरखाव व्यय	13
ड़)	दक्षता कारक	13
2)	**आस्तियों का पूंजीकरण**	15
3)	**विवरण**	15
4)	**कार्यशील पूंजी की वापसी**	16
5)	**गैर प्रशुल्क आय**	19
6)	**व्यय और ब्याज शुल्क का पूंजीकरण**	19
7)	**बिजली के पारेषण/व्हीलिंग पर छूट**	19
8)	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए**	20-21
भाग-II	**अपील संख्याः 133/2007 एवं 28/2008 के अपीलीय आदेश का प्रभाव एवं दिनांकः 20.12.12007 के एमवाईटी आदेश के अनुसार 196.17 करोड़ रूपए के अधिशेष का उपचार**	22
क)	**डीवीबी की बकाया राशि का उपचार**	22
ख)	अधिशेष का उपयोग	24
भाग-III	**संशोधित वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर**	26
1.	ओएवंएम व्यय	27
2	आस्तियों का पूंजीकरण	29
3	विवरण	30
4	कार्यशील पूंजी की वापसी	31

5	व्यय का पूंजीकरण	31
6	आयकर व्यय	32
7	गैर प्रशुल्क आय	32
8	वार्षिक राजस्व आवश्यकता	32
9	**याचिका के अनुलग्नक**	
10	अनुलग्नक-I-एटीई से पहले दायर अपील सं. 166/2012 की प्रतिलिपि	
11	अनुलग्नक-II-दिल्ली के एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) की सरकार का पत्र	
12	अनुलग्नक -III-डीपीसीएल का पत्र	
13	अनुलग्नक-IV- वि. वर्ष ा 2012–13 के लिए पूंजीकरण की योजना वार विवरण	
14	अनुलग्नक-V- वि. वर्ष 2012–13 के लिए पूंजीकरण के लिए अनुमानित विवरण	
15	अनुलग्नक-VI- वि. वर्ष 2011–12 के लिए लेखापरीक्षण तुलन पत्र	
16	अनुलग्नक - VII - वि. वर्ष 2007–08 से वि. वर्ष 2011–12 के लिए एमवाईटी वास्तविकीकरण	
17	अनुलग्नक -VIII - वि. वर्ष 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर प्रारूप	

तालिका की सूची

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1	प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु सीपीआई/डब्ल्यूपीआई का वृद्धि कारक एवं वास्तविक मूल्य	10
तालिका 2	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी व्यय	11
तालिका 3	अन्य कर्मचारी व्यय का विवरण	12
तालिका 4	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ए एवं जी व्यय	12
तालिका 5	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आर एवं एम व्यय	13
तालिका 6	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय	14
तालिका 7	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संपत्ति पूंजीकरण	15
तालिका 8	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास	16
तालिका 9	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी	16
तालिका 10	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियोजित पूंजी पर लाभ	18
तालिका 11	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर टैरिफ आय	19
तालिका 12	प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए व्यय का पूंजीकरण	19
तालिका 13	वित्त वर्ष 2007–08 से वि. वर्ष 2011–12 के लिए डीटीएल का एआरआर	20
तालिका 14	वित्त वर्ष 2007–08 से वि. वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर का वास्तविकीकरण	21
तालिका 15	अधिशेष का पुनः समायोजन	24
तालिका 16	डीवीबी बकाया का प्रशोधन	25
तालिका 17	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए कर्मचारी व्यय	28
तालिका 18	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए एएवंजी व्यय	28
तालिका 19	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए आरएवंएम व्यय	29
तालिका 20	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए ओएवंएम व्यय	29
तालिका 21	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए संपत्ति पूंजीकरण	30
तालिका 22	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए मूल्यह्रास	30
तालिका 23	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए कार्यशील पूंजी पर लाभ	31
तालिका 24	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए व्यय का पूंजीकरण	32
तालिका 25	वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर	33
तालिका 26	वास्तिवीकरण एवं पिछले बकाया का प्रभाव	33

भाग–1

कुल राजस्व आवश्यकता का वास्तविकीकरण

वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए

एमवाईटी विनियम के अनुसार, एआरआर में निम्नांकित घटक शामिल हैं:

क) परिचालन और रख–रखाव व्यय

ख) नियोजित पूंजी पर लाभ

ग) मूल्यह्वास,

घ) कर व्यय

ड़) गैर–टैरिफ आय, और

च) अन्य व्यापारों से आय

1) परिचालन और रख–रखाव व्यय:

- ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए एमवाईटी विनियम के अनुसार, नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय निम्नांकित पद्धति का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है:

$$\mathbf{EMP_n + A\&G_n = (EMP_{n-1} + A\&G_{n-1}) * (INDX_n/INDX_{n-1})}$$

- nवें वर्ष ($INDX_n$) के लिए मुद्रास्फीति कारक का निर्धारण n वें वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के संयोजन का उपयोग कर निम्नांकित रूप में किया जाता है:

$$\mathbf{INDX_n = 0.55*CPI_n + 0.45*WPI_n}$$

क) मुद्रास्फीति कारक का निर्धारण:

- ओ एवं एम व्यय के सूचीकरण के लिए प्रयुक्त मुद्रास्फीति कारक का निर्धारण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक, जो क्रमशः कर्मचारी व्यय और एएवंजी व्यय में योगदान देने के लिए अपेक्षित हैं, के संयोजन का उपयोग कर किया जाता है।
- सीपीआई एवं डब्ल्यूपीआई के वास्तविक मूल्यों पर आधारित, डीटीएल ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई (समग्र) और वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के लिए डब्ल्यूपीआई (समग्र) के मूल्यों में वार्षिक वृद्धि की गणना की है।

- डीटीएल ने मुद्रास्फीति कारक nवें वर्ष ($INDX_n$) का निर्धारण, एमवाईटी विनियम में निर्दिष्ट सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के भारित औसत का उपयोग कर किया है। मुद्रास्फीति कारक का उपयोग वृद्धि कारक की गणना के लिए होता है जिसका प्रयोग प्रत्येक नियंत्रण अवधि में कर्मचारी और ए एवं जी व्यय के निर्धारण के लिए होता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1: प्रथम नियंत्रण अवधि हेतु सीपीआई/डब्ल्यूपीआई का वृद्धि कारक एवं वास्तविक मूल्य

(रू. करोड़)

	डब्ल्यूपीआई	डब्ल्यूपीआई वृद्धि	सीपीआई	सीपीआई वृद्धि	सूचकांक (समेकित)	वृद्धि कारक
2005-06	104.47					
2006-07	111.35	6.59%	125		118.86	
2007-08	116.63	4.74%	132.75	6.20%	125.50	1.0559
2008-09	126.02	8.05%	144.83	9.10%	136.37	1.0866
2009-10	130.81	3.80%	162.75	12.37%	148.38	1.0881
2010-11	143.32	9.56%	179.75	10.45%	163.36	1.1010
2011-12	156.13	8.94%	194.83	8.39%	177.42	1.0861

ख) कर्मचारी व्यय

- वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए कर्मचारी व्यय है 69.66 करोड़ रू. है (जैसा कि एआरआर 11–12 के आदेश में अनुमोदित है) और तालिका 1 में उल्लेखित वृद्धि कारक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 की गणना के लिए उसकी वृद्धि की गई।
- अन्य कर्मचारी व्यय, जो वित्तीय वर्ष 2006–07 में आयोग द्वारा अनुमोदित आधार मूल्य के भाग नहीं थे, पर भी विचार किया गया है जिनमें बीमांकित मूल्यांकन (ग्रेच्यूटी और छुट्टी नकदीकरण), एलटीसी (उत्तर–पूर्व) व्यय, 220 किवा आईपी स्वीचयार्ड का कर्मचारी व्यय (डीटीएल द्वारा जनवरी 2010 में आईपीजीसीएल द्वारा लिया गया), अतिरिक्त एक्स–ग्रेशिया और पेंशन बकाया ट्रस्ट शामिल है।

तालिका 2: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी व्यय (रू. करोड़)

विवरण / वर्ष	वि.वर्ष 06	वि.वर्ष 07	वि.वर्ष 08	वि.वर्ष 09	वि.वर्ष 10	वि.वर्ष 11	वि.वर्ष 12
वृद्धि कारक			1.0559	1.0866	1.0881	1.1010	1.0861
कर्मचारी व्यय (ग′)	52.02	69.66	73.55	79.92	86.97	97.66	119.68
अतिरिक्त जनशक्ति के कारण वृद्धि (@2%)					1.74		
अनुमति दिया गया अतिरिक्त भत्ता (एआरआर 11–12 आदेश)				4.99	8.87	12.53#	
अनुमत कर्मचारी व्यय	52.02	69.66	73.55	84.91	97.57	110.19	
एमवाईटी आदेश में वास्तविक अनुमत	48.31	53.95	56.19	76.59	67.05	69.83	
बकाया एवं संशोधित वृद्धि कारक के प्रभाव के खाते पर देय	3.71	15.71	17.36	8.32	30.52	40.36	
एआरआर 2011–12 आदेश में दिया गया बकाया (तालिका 25, 11–12 आदेश)			0.28	-12.44	44.19	34.13	
						22.15	
***(क)** छठे वेतन आयोग का बाकी प्रभाव (एआरआर 11–12 आदेश मूल्य के अतिरिक्त)	3.71	15.71	17.08	20.76	-13.67	-15.92	27.69
(ख) घटाएं:–क्षमता का सुधार				0.62	0.67	0.74	0.80
(ग) एआरआर 11–12 आदेश में अनुमति दी गई कर्मचारी व्यय			56.47	64.16	111.23	103.96	122.93
(घ) अन्य कर्मचारी व्यय				0.95	1.28	25.82	16.12
कुल कर्मचारी व्यय **(ड़) = (क+ग+घ–ख) (*क (शुद्ध प्रभाव) केवल 11 – 12 के लिए) [वित्तीय वर्ष 12 तक]** **(ड़) = (ग′+घ–ख) वि.वर्ष 13 के आगे के लिए**			56.47	64.49	111.84	129.04	165.93

तालिका 3: अन्य कर्मचारी व्यय का विवरण

(रू. करोड़)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अन्य कर्मचारी व्यय	0.95	1.28	25.82	16.12
एलटीसी (उत्तर पूर्व योजना)	0.95			
बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान और छुट्टी नकदीकरण)		1.28	1.98	4.25
220 किवा आईपी स्वीचयार्ड का कर्मचारी व्यय				3.62
एक्स ग्रेसिया				3.25
बकाया पेंशन ट्रस्ट			23.84	5.00

तालिका 6 में वित्तीय वर्ष 11 में अनुमति प्राप्त (एआरआर आदेश) अतिरिक्त भत्ता अर्थात 12.53 करोड़ जो विशेष ड्यूटी भत्ता के संबंध में अतिरिक्त 0.17 करोड़ रू. सहित है।

पेंशन ट्रस्ट का दावा (तालिका 7) अनंतिम आधार पर है और जैसा कि यह मानक व्यय के अतिरिक्त है, यह भविष्य में पेंशन ट्रस्ट पर मांग के अधीन होगा।

कर्मचारी व्यय के पूंजीकरण पर याचिका में बाद में विचार किया गया है।

ग) एएवंजी व्यय:

- वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए एएवंजी व्यय, अर्थात 14.3 करोड़ रू. को आयोग द्वारा अनुमोदित माना गया है और वर्ष 2007–08 से आगे के लिए ए एवं जी व्यय में तालिका 4 एवं 5 में उल्लेखित वृद्धि कारक के अनुसार बढ़ोतरी हुई है।
- अन्य व्यय जो वित्तीय वर्ष 2006–07 में आयोग द्वारा अनुमोदित आधार मूल्य के भाग नहीं थे, भी विचारे गए जिसमें विदेशी मुद्रा में कमी, कानूनी पुरस्कार व्यय, जमीन किराया आदि शामिल है।

तालिका 4: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एएवंजी व्यय (करोड़ रू.)

	वि.वर्ष 07	वि.वर्ष 08	वि.वर्ष 09	वि.वर्ष 10	वि.वर्ष 11	वि.वर्ष 12
वृद्धि कारक		1.0559	1.0866	1.0881	1.1010	1.0861
एएवंजी व्यय	14.3	15.10	16.41	17.85	19.66	21.35
जीआईएस स्टेशन की दिशा में अनुमत अतिरिक्त एएवंजी (एआरआर 2011–12 आदेश के अनुसार)				2.45		
अन्य व्यय			3	8.65	6.29	9.71
कुल एएवंजी व्यय		15.10	19.41	28.95	25.95	31.06

याचिका में ए एवं जी व्यय के पूंजीकरण पर बाद में विचार किया गया है।

घ) मरम्मत एवं रख–रखाव व्ययः

- ट्रांसमिशन के लिए एमवाईटी विनियम के अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए रख–रखाव (आर एवं एम) व्यय का निर्धारण निम्नांकित फार्मूले के आधार पर किया जाना हैः

$$R\&M_n = K * GFA_{n-1}$$

- जहां, 'K'एक स्थिरांक है (% में व्यक्त) जो nवें वर्ष के लिए आर एवं एम लागत और सकल अचल संपत्तियों के बीच संबंध को शासित करता है।
- प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सकल अचल संपत्ति का संगणन, वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए जीएफए का वास्तविकीकरण मूल्य और वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए डीटीएल के वास्तविक संपत्ति पूंजीकरण के अनुसार किया जाता है।
- दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार, डीटीएल ने जनवरी 2010 में आई.पी. स्टेशन के 220 किलो वाट स्वीचयार्ड को लिया है। इसके कारण, 0.05 करोड़ रू. (तीन महीनों के लिए) का एक अतिरिक्त आर एवं एम पर वित्तीय वर्ष 2009–10 में विचार किया गया है।

तालिका 5ः प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आर एवं एम व्यय **(करोड़ रू.)**

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
जीएफए प्रारंभिक (वास्तविक पूंजीकरण)	922.98	990.22	1136.75	1231.47	1856.19
आईपी एच/ओ टी/ओ के कारण अतिरिक्त आरएवंएम (2009–10 में तीन महीने के लिए आरएवंएम)			0.05		
K कारक	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
आर एवं एम व्यय	20.21	21.69	24.95	26.97	40.65
जीआईएस सबस्टेशन पर अतिरिक्त व्यय (एआरआर 2011–12 आदेश के अनुसार अनुमत)				3.957	3.957
कुल आरएवंएम व्यय	20.21	21.69	24.95	30.93	44.61

(ड़) दक्षता कारकः

डीटीएल के पास पारम्परिक प्रकार के सबस्टेशनों की अधिकतम संख्या है और उनमें से ज्यादा 25–30 वर्ष पुराने हैं। डीटीएल, एक चरणबद्ध तरीके से उसके अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में है और पूरे अपग्रेडेशन एवं साथ ही वर्तमान सब–स्टेशन के स्वचालन के लिए कम से कम 10 वर्ष की आवश्यकता है। आगे, विद्युत ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में अपील संख्या 28/2008 में आयोग को दक्षता कारक में पुनः विचार का निर्देश दिया है।

डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2008–09, वित्तीय वर्ष 2009–10, वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए क्रमशः 2%, 3% और 4% की तदर्थ कमी की है। यह काफी उच्चतर पक्ष पर है, जैसाकि व्यय पहले से ही मानक आधार पर हैं और डीईआरसी ने वास्तविक मूल्य की जगह स्फीति कारक के स्वीकृत मूल्य का प्रयोग किया है और इसके अतिरिक्त इस पर उच्च दक्षता कारक लागू किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 11–12 के लिए वास्तविक मुद्रास्फीति, क्रमशः 10.1 एवं 8.6 के बराबर है जबकि ऐसे उच्च सक्षमता कारक का अनुप्रयोग, पिछले साल के अपर कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय में अनुमति प्राप्त बढ़ोतरी करता है जो कि वित्तीय व"kZ 2010–11 एवं वित्तीय व"kZ 2011–12 के लिए 0.5 प्रतिशत से भी कम है। इसलिए, डीईआरसी से वास्तविक आधार पर मुद्रास्फीति का आग्रह किया गया जबकि इस संबंध में एटीई की पुरानी प्रणाली और निर्णय के मद्देनजर सक्षमता कारक को 1 प्रतिशत की दर तक सीमित करने का आग्रह है।

ओएवंएम व्ययः–

- पहले नियंत्रण अवधि के लिए परिचालन एवं रखरखाव व्यय का सारांश नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 6:- पहले नियंत्रण अवधि के लिए ओएवंएम व्यय **(करोड़ रु.)**

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर्मचारी व्यय (दक्षता कारक सहित)	56.47	64.49	111.84	129.04	165.93
ए एवं जी व्यय	15.10	16.41	17.85	19.66	21.35
आर एवं एम व्यय	20.21	21.69	24.95	26.97	40.65
ओ एवं एम व्यय	91.78	102.58	154.64	175.66	227.93
दक्षता कारक (एएवंजी और आरएवंएम पर)		1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
शुद्ध ओ एवं एम व्यय	91.78	102.20	154.21	175.20	227.31
जीआईएस पर अनुमत अतिरिक्त ए एवं जी (एआरआर वित्तीय वर्ष 2011–12 आदेश में अनुमोदित)	0	0	2.45	0	0
अन्य ए एवं जी व्यय	0	3	8.65	6.29	9.71
जीआईएस पर अनुमत अतिरिक्त आर एवं एम (एआरआर वित्तीय वर्ष 2011–12 आदेश में अनुमोदित)	0.00	0.00	0.00	3.96	3.96
कुल ओ एवं एम व्यय	91.78	105.20	165.31	185.44	240.98

2. **संपत्ति पूंजीकरणः** वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए संपत्ति पूंजीकरण का विवरण वांछित प्रारूप में पहले से ही माननीय आयोग को जमा किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान संपत्ति पूंजीकरण का विवरण भी नीचे दिया गया है:

तालिका 7: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संपत्ति पूंजीकरण (करोड़ रू.)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भूमि	1	16.15	8.98	3.06	0
पट्टे की भूमि				0	0
भवन	1.03	4.76	0.53	2.67	0
मीटर	1.53	0.01	0.12	0.04	0.00
लाइन्स नेटवर्क	3.38	1.54	8.85	191.71	306.67
अन्य सिविल कार्य	21.81	3.7	32.24	14.82	2.79
संयंत्र एवं मशीनरी*	37.17	118.2	39.49	369.52	243.40
कार्यालय उपकरण	0.2	0.35	0.7	0.32	0.04
कम्प्यूटर	0.45	0.51	1.08	40.22	5.69
फर्नीचर	0.47	0.77	0.12	0.27	0.54
विभिन्न संपत्तियां	0.04	0.15	0.13	0.09	
वाहन	0.02	0.41	1.3	0.71	0.57
एससीएडीए	0.14	-0.02	1.18	1.29	0
कुल	**67.24**	**146.53**	**94.72**	**624.72**	**559.70**

* वर्ष 2009–10 के लिए संयंत्र एवं मशीनरी जिसमें डीटीएल द्वारा लिया गया 220 किलो वाट आई.पी. स्विच यार्ड संपत्ति का 9.49 करोड़ रू. शामिल है।

3. **मूल्यह्रास:** वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए मूल्यह्रास की गणना, प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एमवाईटी विनियम में निर्दिष्ट मूल्यह्रास की दर और प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संपत्ति पूंजीकरण पर विचार कर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 07–08 और वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए मूल्यह्रास का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास (करोड़ रू.)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भूमि	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भवन	3.60%	1.05	1.15	1.25	1.30	1.35
मीटर	6.00%	0.05	0.10	0.10	0.11	0.11

लाइन्स नेटवर्क	3.60%	7.42	7.51	7.70	11.31	20.28
अन्य सिविल कार्य	1.80%	1.44	1.67	1.99	2.42	2.57
संयंत्र एवं मशीनरी	3.60%	19.62	22.41	25.25	32.61	43.65
कार्यालय उपकरण	6.00%	0.20	0.21	0.25	0.28	0.29
कम्प्यूटर	18.00%	0.31	0.40	0.54	4.26	8.39
फर्नीचर	6.00%	0.17	0.21	0.24	0.25	0.27
विभिन्न संपत्तियां	6.00%	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07
वाहन	18.00%	0.64	0.68	0.84	1.02	1.13
एससीएडीए	6.00%	3.05	3.05	3.09	3.16	3.20
कुल		**33.99**	**37.44**	**41.29**	**56.76**	**81.30**

4. **नियोजित पूंजी पर लाभ** – नियोजित पूंजी पर लाभ की गणना, एमवाईटी विनियम के अनुसार और ऋण पर विचार कर किया जाता है: वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के वर्षों के दौरान संपत्ति पूंजीकरण पर 70:30 का इक्विटी अनुपात।

क) कार्यशील पूंजी आवश्यकता: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए डीटीएल की कार्यशील पूंजी आवश्यकता की गणना एमवाईटी विनियम 2007 के अनुसार की गई है और नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी (करोड़ रु.)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
दो महीने के लिए प्राप्य	34.31	39.04	59.21	90.11	240.98
1 महीने के लिए ओ एवं एम व्यय	7.65	8.77	13.78	15.45	20.08
कुल कार्यशील पूंजी	41.95	47.81	72.98	105.56	218.01

- नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) की गणना, एमवाईटी विनियम के अनुसार नियमित दर आधार (आरआरबी) एवं भारित औसत पूंजी लागत (डब्ल्यूएसीसी) पर विचार कर किया गया है, अर्थात

$$ROCE = RRB * WACC$$

- डब्ल्यूएसीसी की गणना, इक्विटी और ऋण की अंतिम मूल्य, इक्विटी पर लाभ की दर एवं ऋण पर लाभ की दर के आधार पर किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए, ऋण में शामिल है जीएनसीटीडी से 3452 करोड़ रू. की राशि का ऋण। हालांकि, पूंजी की भारित औसत लागत की गणना के उद्देश्य से, ऋण से इक्विटी में परिवर्तित 3452 करोड़ रू. की राशि को बाहर रखा गया है।

- वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए, इक्विटी में जीएनसीटीडी का 239 करोड़ रू. का ऋण जो जीएनसीटीडी के दिनांक **16/07/10** की पत्र संख्या F.11 (28)/2005/Power Ot.I/937 के माध्यम से इक्विटी में परिवर्तित है एवं डीपीसीएल द्वारा 80 करोड़ रू. का इक्विटी इन्फ्यूजन (संदर्भित दस्तावेज क्रमशः **अनुबंध IV एवं V** में संलग्न है) शामिल है।

तालिका 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियोजित पूंजी पर लाभ

(करोड़ रू.)

विवरण	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09	वित्तीय वर्ष 10	वित्तीय वर्ष 11	वित्तीय वर्ष 12
नियमित दर आधार	624.28	682.86	759.89	866.32	1209.59	1844.08
अचल संपत्ति की मूल लागत	827.87	भरना नहीं है				
संचित मूल्यह्रास	269.48					
नियमित दर आधार में योग	65.89	33.25	109.09	53.43	567.96	478.40
वर्ष के दौरान निवेश (अचल संपत्ति में योग)	95.67	67.24	146.53	94.72	624.72	559.70
मूल्यह्रास	29.77	33.99	37.44	41.29	56.76	81.30
Δ डब्ल्यूसी		41.95	5.86	25.17	32.57	111.31
इक्विटी (बंद)	180.00	200.17	244.13	272.55	778.96	946.87
इक्विटी (औसत)		190.09	222.15	258.34	525.75	862.92
ऋण (बंद)	3984.48	579.55	682.12	748.42	946.72	1338.51
ऋण (औसत)		556.01	630.83	715.27	847.57	1142.62
इक्विटी पर लाभ की दर		14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%
ऋण पर लाभ की दर		11.50%	11.50%	9.92%	10.50%	11.50%
पूंजी का भारित औसत लागत(डब्लूएसीसी)		12.14%	12.16%	11.01%	12.08%	12.54%
नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई)		**82.90**	**92.40**	**95.38**	**146.12**	**231.25**

5. गैर–टैरिफ आय: प्रथम नियंत्रण अवधि अर्थात वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए गैर–टैरिफ आय, को नीचे दी गई विवरण के अनुसार लिया गया है:

तालिका 11: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर टैरिफ आय

(करोड़ रू.)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
गैर–टैरिफ आय	**1.37**	**5.68**	**4.94**	**2.57**	**3.89**

6. व्यय का पूंजीकरण –प्रथम नियंत्रण अवधि में पूंजीकृत कर्मचारी व्यय, ए एवं जी व्यय का सारांश, नीचे की तालिका में दिया गया है:

तालिका 12: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए व्यय का पूंजीकरण

(करोड़ रू.)

क्र. संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 07-08	वित्तीय वर्ष 08-09	वित्तीय वर्ष 09-10	वित्तीय वर्ष 10-11	वित्तीय वर्ष 11-12
1	पूंजीकृत ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	1.98	4.82	3.53	29.96	26.63
2	कर्मचारी व्यय	8.50	13.68	2.63	18.58	18.38
	ए एवं जी व्यय	1.50	2.42	0.46	3.28	3.24
	पूंजीकृत व्यय	11.97	20.91	6.61	51.82	48.25

7. ट्रांसमिशन पर छूट/पावर की व्हीलिंग: डीटीएल ने डिस्काम को पावर की व्हीलिंग पर दिसम्बर, 2007 तक 1.81 करोड़ रू. की राशि का छूट और एमवाईटी विनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 में 2.52 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1.96 करोड़ के राशि की छूट दी है। डीईआरसी से एमवाईटी विनियम के प्रावधानों के अनुसार एआऱआर में उसी को जारी मानने का आग्रह किया गया है।

10. वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर)

तालिका 13:- प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए डीटीएल का एआरआर

(करोड़ रु.)

		वित्तीय वर्ष 2007-08		वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10		वित्तीय वर्ष 2010-11		वित्तीय वर्ष 2011-12	
क्र. सं..	**विवरण**	**एआरआर 11–12 आदेश में अनुमोदित**	वास्तविकीकरण याचिका	**एआरआर 11–12 आदेश में अनुमोदित**	वास्तविकीकरण याचिका	**एआरआर 11–12 आदेश में अनुमोदित**	वास्तविकीकरण याचिका	**एआरआर 11–12 आदेश में अनुमोदित**	वास्तविकीकरण याचिका	**एआरआर 11–12 आदेश में अनुमोदित**	वास्तविकीकरण याचिका
1	कुल ओ एवं एम व्यय	91.61	91.78	102.07	105.20	153.78	165.31	172.67	185.44	206.34	240.98
2	मूल्यह्रास	36.57	33.99	43.80	37.44	68.89	41.29	102.94	56.76	128.39	81.30
3	पावर की बिक्री/व्हीलिंग पर छूट	0	1.81		0		0		2.51	0	1.96
4	अन्य वस्तुएं										
क)	पहले की अवधि की आय/व्यय		-1.65		-0.73		18.98		4.06		6.38
ख)	एसएलडीसी आय की पहले अवधि की आय, पहले की अवधि में शामिल है		-0.04		0.02		0				
ग)	समाप्ति के तहत संपत्ति के लिए प्रावधान		4.61		4.89		0				
5	आरओसीई	89.76	82.90	107.66	92.40	185.86	95.38	296.44	146.12	386.27	231.25
6	**घटाना:** पूंजीकृत ए एवं जी और कर्मचारी व्यय	-2.84	-10.00	-9.3	-16.09	-43.06	-3.09	-20.25	-21.86	-9.83	-21.62
7	**घटाना:** गैर टैरिफ आय	-9.28	-1.37	-9.97	-5.68	-10.22	-4.94	-11.17	-2.57	-2.5	-3.89
8	**राजस्व आवश्यकता**	**205.82**	202.04	**234.26**	217.46	**355.25**	312.93	**540.63**	370.47	**708.67**	536.35

9	अधिशेष के गलत प्रयोग के काराण अनुमति प्राप्त अतिरिक्त राशि (तालिका 15)										357.51
10	डीवीबी बकाए का प्रभाव **(तालिका 16 के अनुसार)**										1040.85
12	वास्तविकीकरण	**-3.78**		-16.80		-42.32		-170.16		-172.32	
13	**प्रथम नियंत्रण अवधि का वास्तविकीकरण**	**-466.75**									
14	कुल वास्तविकीकरण **[14= 9+10+13]**	**931.61**									

* वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लिए रू.466.75 का वास्तविकीकरण मूल्य, चालन लागत सहित है

तालिका 14 वि. वर्ष 2007–08 से वि.वर्ष 2011–12 के लिए वास्तविकीकरण

	वि.वर्ष 2007-08	**वि.वर्ष 2008-09**	**वि.वर्ष 2009-10**	**वि.वर्ष 2010-11**	**वि.वर्ष 2011-12**
आरंभिक अंतर	0.00	-4.00	-22.23	-68.85	-255.18
वर्ष के दौरान योग	-3.78	-16.80	-42.32	-170.16	-172.32
	11.50%	11.50%	9.92%	10.50%	11.50%
चालन लागत	-0.22	-1.43	-4.30	-16.16	-39.25
अंतिम अंतर	**-4.00**	**-22.23**	**-68.85**	**-255.18**	**-466.75**

भाग - II

अपील संख्याः 133/2007 एवं 28/2008 में पुनर्विचार संबंधी आदेश का प्रभाव एवं दिनांक 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश के अनुसार 196.17 करोड़ रू. के अधिशेष का प्रशोधन

क) डीवीबी बकाए का प्रशोधनः

आयोग ने माना है कि डीईआर (टीएस) नियम 2001 के पद में वितरण कंपनियों द्वारा दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) को भुगतान किया गया निजीकरण अवधि से संबंधित प्राप्तियोग्य बकाये को डीटीएल का प्राप्तियोग्य माना जाना चाहिए और इसलिए, डीटीएल के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में समायोजित करना चाहिए। माननीय आयोग ने, वित्तीय वर्ष 2002–03 से वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए डीटीएल के एआरआर को पूरा करते समय होल्डिंग कंपनी द्वारा 210 करोड़ रू. की प्राप्ति पर विचार किया था। आगे, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए डीटीएल के टैरिफ आदेश में होल्डिंग कंपनी द्वारा रू.209 करोड़ एवं एआरआर को पूरा करने के लिए दिनांक 20.12.2007 के डीटीएल के एमवाईटी आदेश में 218 करोड़ रू. की प्राप्ति (डीवीबी बकाया की राशि) पर विचार किया है। ट्रांसको, होल्डिंग कंपनी द्वारा इस मद में किसी भुगतान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जैसा कि माननीय एटीई ने डीईआर (टीएस) नियम 2001 के संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करते समय दिनांक 13.01.2009 एवं 29.09.2010 के अपने आदेश के माध्यम से माना।

वित्तीय वर्ष 2006–07 (133/2007) के लिए थोक बिजली आपूर्ति के लिए दिनांक 22.09.2006 के टैरिफ आदेश के विरुद्ध और दिनांक 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश (28/2008) के विरूद्ध, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) द्वारा अपील अधिकरण के सामने अपील दायर की गई थी। डीटीएल ने माननीय प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि ट्रांसको के लिए थोक आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के समय होल्डिंग कंपनी से समान की गैर–प्राप्ति के मद पर वास्तविकीकरण के लिए 637 करोड़ रू. के डीवीबी बकाया पर विचार किया जाए। माननीय विद्युत अपील अधिकरण ने अपील संख्या 2007 के 133 में दिनांक 13.1.2009 के आदेश के माध्यम से मामले पर विचार किया है और निम्न आदेश पारित किया हैः

''विद्युत अपील अधिकरण ने आदेश दिया था कि अपील सफल होती है और आयोग डीटीएल द्वारा प्राप्त राशि को अपीलकर्ता के क्रेडिट में आने वाली राशि के रूप में नहीं माना जाएगा। निर्णय का प्रभाव कि चालन लागत और बाद के टैरिफ आदेश को वास्तविकीकरण के लिए दिया जाएगा''।

और अपील संख्या 28/2008 में दिनांक 29.09.2010 के आदेश के माध्यम से –

''डीवीबी बकाया के मुद्दें पर, इस अधिकरण ने अपील संख्या 133/07 में दिनांक 13.01. 2009 के निर्णय में अपीलकर्ता के पक्ष में पहले ही आदेश पारित किया है। इसके बावजूद, राज्य आयोग ने अपने पहले के अभ्यास का अनुसरण करते हुए, वितरण कंपनी द्वारा वसूल किए गए डीवीबी से संबंधित पिछले बकाये पर विचार किया है और अपीलकर्ता के राजस्व के रूप में होल्डिंग कंपनी को प्रेषित किया है। यह सांविधिक ट्रांसफर योजना के प्रावधानों और साथ ही ऊपर उल्लेखित निर्णय में इस अधिकरण द्वारा रखी गई उक्ति के विपरीत है। राज्य आयोग के वकील के अनुसार, अधिकरण द्वारा दिनांक 13.01.2009 को पारित निर्णय की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई है और जैसे कि एक अनंतिम नहीं प्राप्त की गई है और इसलिए, उसके अनुपालन की जरूरत नहीं है। राज्य आयोग के वकिल का यह तर्क अस्थिर है क्योंकि यह निर्धारित कानून है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समझ अपील का केवल लंबित होना राज्य आयोग को इस अवलोकन के लिए समर्थ नहीं बनाएगा कि उन्हें अधिकरण के आदेश के पालन की जरूरत नहीं है। इसलिए, राज्य आयोग को इस मुद्दें से संबंधित अपीलकर्ता के दावा को अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

डीईआरसी से वित्तीय वर्ष 2008–11 के लिए वास्तविकीकरण और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर याचिका में डीवीबी बकाये पर विचार करने का आग्रह किया गया था, लेकिन डीईआरसी ने उसे यह कहते हुए विचार नहीं किया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हालांकि, एटीई ने अपील संख्या 28 में स्पष्ट रूप से कहा है कि ....*राज्य आयोग के वकील का यह तर्क अस्थिर है क्योंकि यह निर्धारित कानून है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील का केवल लंबित होना राज्य आयोग को इस अवलोकन के लिए समर्थ नहीं बनाएगा कि उन्हें अधिकरण के आदेश के पालन की जरूरत नहीं है। इसलिए,*

राज्य आयोग को इस मुद्दें से संबंधित अपीलकर्ता के दावे को अनुमति देने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, डीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एआरआर आदेश में नकारात्मक चालन लागत के साथ 196.17 करोड़ रू. (दिनांक 20.12.2007 के एमवाईटी आदेश के अनुसार) का अधिशेष समायोजित किया है। डीईआरसी का यह प्रशोधन, अस्थिर है क्योंकि यह अधिशेष केवल तभी आता है जब डीईआरसी ने डीवीबी बकाया का गलत प्रशोधन किया हो। डीवीबी बकाया के संबंध में डीटीएल के दावा को अनुमति देने की माननीय एटीई के निर्देश के बावजूद, डीईआरसी ने चालन लागत के साथ गलती से 196.17 करोड़ रू. काटा है जो कि वास्तविक रूप से डीवीबी बकाया के मुद्दें पर डीईआरसी द्वारा गलत प्रशोधन का परिणाम है। तद्नुसार डीटीएल ने तालिका 13 के अनुसार चालन लागत के साथ 196.17 करोड़ रू. को पुनः समायोजित किया है और डीवीबी बकाया के प्रभाव को नीचे तालिका 14 के अनुसार दिया गया है।

तालिका 15: अधिशेष का पुनः समायोजन

(करोड़ रु.)

	वि. वर्ष 2006-07	**वि. वर्ष 2007-08**	**वि. वर्ष 2008-09**	**वि. वर्ष 2009-10**	**वि. वर्ष 2010-11**	**वि. वर्ष 2011-12**
आरंभिक अंतर		207.45	231.31	257.91	287.57	320.64
वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए अनुमोदित अधिशेष	***196.17***					
	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%
चालन लागत	11.28	23.86	26.60	29.66	33.07	36.87
अंतिम अंतर	**207.45**	**231.31**	**257.91**	**287.57**	**320.64**	**357.51**

तालिका 16:- डीवीबी बकाया का प्रशोधन

(करोड़ रु.)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आरंभिक अंतर	0	113.15	236.01	322.14	520.82	603.97	673.43	750.87	837.22	933.50
वर्ष के दौरान योग	107	103.87	55.78	152.85	21.99					
वित्तीय वर्ष 2002–03 के लिए डीवीबी बकाया	*107*									
वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए डीवीबी बकाया		*103.87*								
वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए डीवीबी बकाया			*55.78*							
वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए डीवीबी बकाया				*152.85*						
वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए डीवीबी बकाया					*218.16*					
वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए अनुमोदित अधिशेष					*-196.17*					
ब्याज का दर	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%	11.50%
चालन लागत	6.15	18.99	30.35	45.83	61.16	69.46	77.44	86.35	96.28	107.35
अंतिम अंतर	**113.15**	**236.01**	**322.14**	**520.82**	**603.97**	**673.43**	**750.87**	**837.22**	**933.50**	**1040.85**

भाग-III
वित्तीय व"kZ 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर

माननीय आयोग ने दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 के आदेश के माध्यम से एमवाईटी विविनियम जारी किया जो वित्तीय व"kZ 2012–13 से वित्तीय व"kZ 2014–15 की अवधि के लिए एमवाईटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत विद्युत ट्रांसमिशन के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें को निर्दि"ट करता है।

डीटीएल ने एआरआर के अनुमोदन के लिए याचिका दायर की है और ट्रांसमिशन व्यापार के लिए वित्तीय व"kZ 2012–13 से वित्तीय व"kZ 2014–15 के लिए लागू टैरिफ, फरवरी. 2.2012 को आयोग के निर्देश के अनुसार है। माननीय आयोग ने स्प"टीकरण या अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो, के वि"kय को दिनांक 9.9.2012 के आदेश के माध्यम से याचिका स्वीकृत की और लोक सुनवाई के बाद 13.07. 2012 को वित्तीय व"kZ 2012–13 से वित्तीय व"kZ 2014–15 के लिए एमवाईटी टैरिफ आदेश जारी किया।

13.7.2012 को पारित एमवाईटी आदेश में माननीय आयोग के कुछ नि"क"kों जैसे क्षमता कारक का सही निर्धारण, डिस्कॉम को मिली हुई छूट, छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर देय बकाया से संबंधित कर्मचारी लागत और एटीई आदि के निर्देशों को प्रभावित किए बिना अधिशे"k का समायोजन द्वारा पीड़ित डीटीएल ने 2012 के अपील सं. 166 में एटीई के सामने एक याचिका दायर की है।

माननीय आयोग ने दिनांक 26.11.2012 के पत्र के माध्यम से डीटीएल को वित्तीय व"kZ 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर याचिका दायर करने का निर्देश दिया। डीटीएल ने 9 महीनों के लिए वास्तविक पूंजीकरण (1 अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर 2012) और वित्तीय व"kZ 2012–13 के 3 महीनों के अनुमान और वित्तीय व"kZ 2013–14 के लिए प्रस्तावित पूंजीकरण पर विचार करने के बाद वित्तीय व"kZ 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर गणित किया। वित्तीय व"kZ 2012–13 एवं वित्तीय व"kZ 2013–14 के लिए पूंजीकरण का योजनावर ब्योरे को अनुबंध 4 एवं 5 में संलग्न किया गया है।

वित्तीय व"k 2012–13 और वित्तीय व"k 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर का ब्योरा नीचे दिया गया है–

1. ओ एवं एम व्ययः

डीटीएल ने दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रास्फीति कारक पर विचार किया है जैसा कि कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय अर्थात 1.08 की गणना के लिए वित्तीय व"k 2012–13 से 14–15 के लिए एमवाईटी आदेश में माननीय आयोग ने अनुमोदित किया है।

वित्तीय व"kZ 2012–13 से वित्तीय व"kZ 14–15 के लिए एमवाईटी आदेश पारित करते समय आधार व"kZ (वित्तीय व"k 2011–12) के लिए ऑडिटेड खाता उपलब्ध नहीं थे, आयोग ने आधार व"k के लिए कर्मचारी व्यय एवं ए एवं जी व्यय के आकलन के लिए वित्तीय व"k 2010–11 के लिए ऑडिटेड खातों के अनुसार डीटीएल के कर्मचारी व्यय एवं ए एवं जी व्यय पर विचार किया था। (वित्तीय व"kZ 2011–12 के लिए ऑडटेड बैलेंस सीट **अनुबंध– VI** में संलग्न है)

संशोधित एआरआर में, वित्तीय व"k 2012–13 एवं वित्तीय व"k 2013–14 के लिए कर्मचारी व्यय एवं ए एवं जी व्यय की गणना के लिए डीटीएल ने वित्तीय व"k 2011–12 (आधार व"k) के लिए कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय पर वित्तीय व"k 2011–12 के लिए डीटीएल का ऑडिटेड खाता के अनुसार विचार किया गया है। साथ ही, वित्तीय व"k 2012–13 एवं वित्तीय व"k 2013–14 में, नई पूंजी संपत्ति जोड़ के मद पर एक अतिरिक्त व्यय पर भी विचार किया गया।

वित्तीय व"kZ 2012–13 एवं वित्तीय व"k 2013–2014 के लिए कर्मचारी व्यय और ए एवं जी व्यय का विवरण नीचे की तालिका में दी गई है **:-**

तालिका 17: वि.वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए कर्मचारी व्यय

(करोड़ रू.)

	2011–12 (आधार वर्ष)	2012-13	2013-14
वृद्वि कारक		1.08	1.08
कर्मचारी व्यय (बी/एस)	123.75	133.66	151.61
अतिरिक्त कार्यबल नई संपत्ति के कारण अतिरिक्त 5 प्रतिशत		6.68	7.58
कुल कर्मचारी व्यय		140.35	159.19

तालिका 18: वि.वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए ए एवं जी व्यय
(करोड़ रू.)

	2011–12 (आधार वर्ष)	2012-13	2013-14
वृद्वि कारक		1.08	1.08
ए एव जी व्यय (बी/एस)	23.54	25.43	28.84
अतिरिक्त व्यय नई संपत्ति के कारण अतिरिक्त 5 प्रतिशत		1.27	1.44
कुल ए एवं जी व्यय		26.70	30.28

आर एवं एम के व्ययों की गणना वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 के लिए प्रारंभिक जीएफए (जिसकी गणना संपत्ति के पूंजीकरण के वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्त वर्ष 2007–08 से वित्त वर्ष 2011–12 के लिए करके पहले ही आयोग को वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 की अनुमानित संपत्ति पूंजीकरण के मूल्य के साथ प्रस्तुत कर दी गई थी।) और 'के' कारक के मद्देनजर जैसा कि आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 से वित्त वर्ष 2014–15 के लिए एमवाईटी आदेश में था को स्वीकृत किया।

तालिका 19: वि.वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए आर एवं एम व्यय

(करोड़ रू.)

विवरण	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
आरंभिक जीएफए	2415.89	3153.47
के कारक (प्रतिशत)	1.424 %	1.424%
आरएवंएम व्यय	34.40	44.91
जीआईएस पर अनुमति प्राप्त अतिरिक्त आर एवं एम (वित्तीय वर्ष 2011–12 आदेश में अनुमोदित)	3.96	3.96
कुल आरएवंएम व्यय	38.36	48.86

डीटीएल दक्षता कारक वित्तीय वर्ष 2013–13 और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 1 प्रतिशत माना है।

तालिका 20: वि.वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए ओएवंएम व्यय

(करोड़ रू.)

विवरण	वि.वर्ष 2012-13	वि.वर्ष 2013-14
कर्मचारी व्यय	140.35	159.19
ए एवं जी व्यय	26.70	30.28
आर एवं एम व्यय	34.40	44.91
ओ एवं एम व्यय	201.45	234.37
दक्षता कारक	1%	1%
शुद्ध ओ एवं एम व्यय	199.43	232.03
जीआईएस पर अनुमति प्राप्त अतिरिक्त आर एवं एम (वित्तीय वर्ष 2011–12 आदेश में अनुमोदित)	3.96	3.96
कुल ओ एवं एम व्यय	203.39	235.99

2. संपत्ति पूंजीकरण

वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 के लिए संपत्ति पूंजीकरण की संशोधित योजना द्वितीय नियंत्रण अवधि के व्यापार योजना के आधार पर एवं अधिल्पव योजनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 21: वि.वर्ष 2012—13 एवं वि. वर्ष 2013—14 के लिए संपत्ति पूंजीकरण

(करोड़ रु.)

विवरण	2012-13	2013-14
लाइन्स नेटवर्क	251.43	331.00
अन्य सिविल कार्य	10.00	10.00
संयंत्र एवं मशीनरी *	474.60	308.30
कार्यालय उपकरण	0.5	0.6
कम्प्यूटर	0.25	0.4
फर्नीचर	0.6	0.7
विभिन्न संपत्तियां	0.20	0.25
कुल	**737.58**	**651.25**

3. मूल्यह्रास

डीटीएल ने वित्त वर्ष 2012—13 और 2013—14 के लिए मूल्यह्रास की गणना एमवाईटी विविनियम 2011 के मूल्यह्रास दरों को ध्यान में रखते हुए की, प्रस्तावित प्रचलित जीएफए और प्रस्तावित संपत्ति जिसका पूंजीकरण वित्त वर्ष 2012—13 और वित्त वर्ष 2013—14 के लिए किया जाना है, विवरण ऊपर दिया गया है।

तालिका 22: वि.वर्ष 2012—13 एवं वि. वर्ष 2013—14 के लिए मूल्यह्रास

(करोड़ रू.)

विवरण	मूल्यह्रास की दर	2012-13	2013-14
भूमि	-	0.00	0.00
पट्टे की भूमि	3.34%	0.33	0.33
भवन	3.34%	1.25	1.25
मीटर	5.28%	0.09	0.09
लाइन्स नेटवर्क	5.28%	44.47	59.85
अन्य सिविल कार्य	3.34%	4.99	5.33
संयंत्र एवं मशीनरी	5.28%	82.97	103.64
कार्यालय उपकरण	6.33%	0.32	0.35
कम्प्यूटर	15.00%	7.43	7.48
फर्नीचर	6.33%	0.32	0.37
विभिन्न संपत्तियां	6.33%	0.08	0.09
वाहन	9.50%	0.62	0.62
एससीएडीए	6.33%	3.38	3.38

कुल		**146.27**	**182.79**

4. पूंजी का प्रतिफल

वि.वर्ष 2012–13 एवं वि.वर्ष 2013–14 के लिए आरओसीई संपत्ति पूंजीकरण के आधार पर गणना के रूप में तालिकाबद्व है:

तालिका 23: वि.वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए कार्यशील पूंजी पर लाभ
(करोड़ रू.)

विवरण	**वि.वर्ष 2011-12**	**वि.वर्ष 2012-13**	**वि.वर्ष 2013-14**
नियमित दर आधार	1844.08	2316.17	3070.12
अचल संपत्ति की मूल लागत			
संचित मूल्यह्रास			
नियमित दर आधार में योग	478.40	591.31	468.46
वर्ष के दौरान निवेश (अचल संपत्ति में योग)	559.70	737.58	651.25
मूल्यह्रास	81.30	146.27	182.79
डब्ल्यूसी	111.31	-62.77	224.07
इक्विटी (बंद)	946.87	1168.15	1363.52
इक्विटी (औसत)	862.92	1057.51	1265.83
ऋण (बंद)	1338.51	1854.82	2310.70
ऋण (औसत)	1142.62	1596.67	2082.76
इक्विटी पर लाभ का दर	14.00%	14.00%	14.00%
ऋण पर लाभ का दर	11.50%	11.50%	11.50%
पूंजी का भारित औसत लागत(डब्लूएसीसी)	12.54%	12.47%	12.43%
नियोजित पूंजी पर लाभ (आरओसीई)	**231.25**	**288.83**	**381.62**

5. संपत्ति पूंजीकरण :

वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 के लिए पूंजीकरण व्ययों की गणना संशोधित संपत्ति पूंजीकरण के आधार पर की गई निम्न तालिका में है।

तालिका 24: वि.वर्ष 2012–13 एवं वि.वर्ष 2013–14 के लिए व्यय का पूंजीकरण

(करोड़ रू.)

क्रम संख्या	**विवरण**	**2012-13**	**2013-14**
1	पंजीकृत ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	42.41	37.45
2	कर्मचारी व्यय	26.65	23.53
3	ए एवं जी व्यय	4.70	4.15

6. आयकर व्यय

वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 के लिए आयकर प्रावधानों की गणना वित्त वर्ष 2012–13 में 57.79 करोड़ की लगाई गई पूंजी और वित्त वर्ष 2013–14 के लिए 76.36 करोड़ की लगाई गई पूंजी के प्रतिलाभ की 20.01 प्रतिशत एमएटी दर को ध्यान में रखते हुए की गई है।

7. गैर टैरिफ आय:

डीटीएल ने वित्त वर्ष 2012–13 और वित्त वर्ष 2013–14 के गैर टैरिफ आय को स्वीकृत राशि मान लिया है जो कि वित्त वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए एमवाईटी के आदेश में दी है।

8. कुल राजस्व आवश्यकताएं

वि. वर्ष 2012–13 एवं वि.वर्ष 2013–14 के लिए संशोधित एआरआर नीचे तालिका में दिया है।

तालिका 25: वि. वर्ष 2012–13 एवं वि. वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 2012-13**	**वित्तीय वर्ष 2013-14**
1	कुल ओ एवं एम व्यय	203.39	235.99
2	मूल्यह्रास	146.27	182.79
3	पावर की सेल/व्हीलिंग पर छूट	2.5	2.5
4	कार्यशील पूंजी पर लाभ	288.83	381.62
5	**घटाएं:** पूंजीकृत ए एवं जी और कर्मचारी व्यय	-31.35	-27.68
6	**घटाएं:** गैर टैरिफ आय	-2.50	-2.50
7	**घटाएं** – अन्य व्यवसाय से आय	0.00	0.00
8	आयकर प्रावधान	57.79	76.36
9	**राजस्व आवश्यकता**	664.93	849.07
10	**वास्तविकीकरण एवं पिछले बकाया का प्रभाव (तालिका 26 के अनुसार)**		1182.28
11	**वि.वर्ष 2013–14 के लिए शुद्ध एआरआर**		2031.35

तालिका 26: वास्तिवीकरण एवं पिछले बकाया का प्रभाव:

(करोड़ रु.)

	वि. वर्ष **2011-12**	वि. वर्ष **2012-13**
आरंभिक अंतर	0.00	985.18
वर्ष के दौरान योग	931.61*	79.25**
	11.50%	11.50%
चालन लागत	53.57	117.85
अंतिम अंतर	985.18	1182.28

*रूपए 931 करोड़ तालिका 13 के अनुसार है।

**रूपए 79.25 करोड़ का अंतर स्वीकृत है और वित्त वर्ष 2012–13 के लिए संशोधित एआरआर